2005 : CGHC:4755
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
दाण्डिक अपील क्रमांक 665/1991

अपीलार्थी: – सुखीराम आत्मज नेतराम, उम्र 25 वर्ष, नगेसिया, पेशा– किसानी, निवासी ग्राम सूर, थाना सीतापुर, तहसील सीतापुर, जिला सरगुजा, मध्य प्रदेश

बनाम

उत्तरवादी: मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा थाना सीतापुर, जिला सरगुजा

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अन्तर्गत अपील

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 665/91</u>

सुखीराम

– बनाम –

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

विचारण हेतु निर्णय

हस्ता०/–
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

<u>माननीय श्री न्यायमूर्ति फ़ख़रुद्दीन</u>

सहमत

हस्ता०/–
फ़ख़रुद्दीन
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियत दिनांक 02.08.2005

हस्ता०/–
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
दाण्डिक अपील क्रमांक 665/91
सुखीराम
बनाम
मध्य प्रदेश शासन (अब छत्तीसगढ़)

समक्ष माननीय श्री फ़ख़रुद्दीन, न्यायाधीश

:

माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

श्री शैलेंद्र शुक्ला, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता।

श्री अखिल मिश्रा और श्री रवींद्र अग्रवाल, राज्य की ओर से उपस्थित पैनल अधिवक्ता।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय
(दिनांक 02.08.2005 को पारित)

द्वारा दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

1. यह अपील श्री बी.बी.एल. अग्रवाल, सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर, सरगुजा द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 812/1990 में दिनांक 11.4.1991 को दिए गए उस निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 1.2.90 को लगभग रात्रि 8.00 बजे ग्राम सूर, पुलिस थाना सीतापुर, तहसील सीतापुर, जिला सरगुजा में अपने भाई कुंवर साय की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.) की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया।
2. यह स्वीकृत है कि रूप से अपीलार्थी और मृतक कुंवर साय सगे भाई थे। मनीराम अ.सा.6 अपीलार्थी का पिता है और हरमुनिया अ.सा.4 अपीलार्थी की माँ है।
3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मनीराम ने अपीलार्थी और मृतक के मध्य कृषि भूमि का विभाजन किया था। मृतक ने अपनी भूमि बेच दी थी और अपीलार्थी से घर छोड़ने के लिए कहा करता था। मृतक कुंवर साय आदतन शराबी था और अक्सर शराब के नशे में सुखराम और उसके माता-पिता से झगड़ा और मारपीट किया करता था। दिनांक

1.2.1990 को लगभग रात्रि 8.00 बजे मृतक कुंवर साय नशे की हालत में आया और अपीलार्थी से झगड़ा करने लगा। अपीलार्थी ने मृतक से 'बसूला' छीन लिया और बसूला से मृतक के सिर पर 4 से 5 प्रहार किए। कुंवर साय की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। अपीलार्थी ने ग्राम चौकीदार मंगल दास अ.सा.1 के समक्ष न्यायेतर संस्वीकृति की, जिसने दिनांक 1.2.90 को लगभग 22.15 बजे पुलिस थाना सीतापुर में प्र.सू.रि. प्रदर्श पी.1 दर्ज कराई। मर्ग सूचना प्रदर्श पी.2 दर्ज की गई। अन्वेषण अधिकारी आर.एन. यादव दिनांक 2.2.90 को घटनास्थल पर पहुँचे और मृतक कुंवर साय के शव का पंचनामा तैयार किया। दिनांक 2.2.90 को डॉक्टर के.के. दत्ता अ.सा.8 द्वारा शव–परीक्षणकी गई, जिन्होंने कुंवर साय पर निम्नलिखित बाह्य चोटें पाईं :–

i) वाम पार्श्व में मध्य रेखा के निकट ललाट क्षेत्र (माथे) पर 2 इंच x 4 इंच का छिन्न घाव, लंबवत स्थित और अस्थि तक गहरा था।

ii) चोट क्रमांक 1 के ठीक समानांतर और पार्श्व में 2 इंच x ½ इंच x अस्थि तक गहरा छिन्न घाव।

iii) वाम शंख क्षेत्र पर 3 ½ इंच x 1 इंच x अस्थि तक गहरा विदीर्ण घाव। घाव से मस्तिष्क पदार्थ बाहर निकल आया था, जो पार्श्व से मध्यवर्ती उर्ध्व दिशा में था।

iv) एक विदीर्ण घाव 2 ½ इंच x ½ इंच x अस्थि तक गहरा और मस्तिष्क तक गहरा, जिसमें से मस्तिष्क पदार्थ बाहर निकला हुआ था, और इसका स्थान चोट क्रमांक 3 के पीछे वाम शंख–पश्चकपाल क्षेत्र था और यह अग्रपार्श्व से पश्चमध्यवर्ती उर्ध्व दिशा में तिरछा स्थित था।

v) पीठ और वाम स्कंध संधि क्षेत्र पर 1 इंच x ½ इंच का अपघर्षण।

vi) छाती के अग्र भाग के दाहिनी ओर, मध्य जत्रुक रेखा में पाँचवीं अंतरापर्शुक अवकाश पर 1 ½ इंच x 1 इंच का कुचलन।

विच्छेदन करने पर, यह पाया गया कि :–

i) ललाट अस्थि का दो टुकड़ों में अस्थिभंग, प्रत्येक टुकड़ा 2 इंच x 1 ½ इंच आकार का आयताकार और प्रकृति में धँसा हुआ था। टुकड़े हटाने पर मस्तिष्क पर रक्तगुल्म मौजूद था और यह बाह्य चोट क्रमांक 1 और 2 के अनुरूप था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ii) वाम शंख क्षेत्र में अनेक अस्थिभंग और मस्तिष्क पदार्थ बाहर निकल रहा था। कुछ टुकड़े मस्तिष्क पदार्थ में धँसे हुए थे, अस्थिभंग स्थल के नीचे रक्तगुल्म मौजूद था। यह बाह्य चोट क्रमांक 3 और 4 के अनुरूप है।

iii) जत्रुक रेखा में 5वीं और 6वीं पसलियों का अस्थिभंग, जो बाह्य चोट क्रमांक 6 के नीचे और उसके अनुरूप था। फुस्फुसावरण और फेफड़े पर कोई चोट नहीं थी।

डॉक्टर के.के. दत्ता की राय में, बाह्य चोटें क्रमांक 3 और 4 प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थे, क्योंकि आघात इतना शक्तिशाली था कि मस्तिष्क पदार्थ बाहर निकल आया और चोट लगने के तुरंत बाद मृतक की मृत्यु हो गई थी। अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी.10 में डॉक्टर के.के. दत्ता ने राय दी कि मृत्यु परीक्षण से 12 से 14 घंटे के भीतर कोमा और रक्तस्रावी आघात के कारण हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अन्वेषण अधिकारी आर.एन. यादव ने घटनास्थल से सादी मिट्टी और खून सनी मिट्टी प्रदर्श पी.6 के माध्यम से जब्त की और घटनास्थल से लकड़ी के हत्थे वाला एक लोहे का बसूला, जिस पर खून जैसे धब्बे थे, भी प्रदर्श पी.7 के माध्यम से जब्त किया। जब्ती पत्रक प्रदर्श पी.8 के माध्यम से उसने दिनांक 2.2.90 को अभियुक्त से खून जैसे धब्बों वाली एक हरी लुंगी और सैंडो बनियान भी जब्त की। अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात्, अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.) की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अभियोग चलाया गया।

5. अभियुक्त ने दोष अस्वीकार किया। तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता (दं.प्र.सं.) की धारा 313 के अधीन अपनी परीक्षण में उसने कहा कि कुंवर साय ने अपने हिस्से की भूमि बेच दी थी और आए दिन उससे और उसके माता–पिता से झगड़ा किया करता था। कई अवसरों पर, कुंवर साय ने उस पर हमला किया था। घटना की रात को कुंवर साय ने नशे की हालत में अपने पिता मनीराम के सिर पर बसूला से हमला किया, जिस पर मनीराम ने कुंवर साय के सिर पर 2–3 लाठी के प्रहार किए। तब कुंवर साय ने भी बसूला से उसके कंधे पर हमला किया, जिस पर निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए, उसने मृतक से बसूला छीन लिया था और बसूला से कुंवर साय के गाल पर केवल एक चोट कारित की थी। बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.) की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि को मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दी है कि अपीलार्थी द्वारा व्यक्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का बचाव हरमुनिया अ.सा.4, नानबाई अ.सा.5 और मनीराम अ.सा.6 तथा मंगल दास अ.सा.1 की प्रतिपरीक्षण से पूर्णतः सिद्ध होता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि डॉक्टर के.के. दत्ता अ.सा.8 के साक्ष्य के साथ पठित प्रत्यक्ष साक्ष्य यह साबित करता है कि मृतक कुंवर साय को लगी प्राणघातक चोटें मनीराम अ.सा.6 द्वारा कारित की गई थीं। दूसरी ओर, विद्वान अधिष्ठित अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

7. अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कुल 13 साक्षियों का परीक्षण कराया । मंगल दास अ.सा.1 ने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना की रात में अपीलार्थी सुखराम रात में उसके घर आया और उसे बताया कि उसने अपने भाई को बसूला से मार डाला था, जिस पर वह अपीलार्थी को पुलिस थाना सीतापुर ले गया था और प्र.सू.रि. दर्ज कराई थी। प्रतिपरीक्षण में कण्डिका 5 से आगे, इस साक्षी ने बचाव पक्ष के कथन का पूर्ण समर्थन किया है और अभिसाक्ष्य दिया है कि सुखराम (अपीलार्थी) ने उसे बताया था कि कुंवर साय मनीराम (अ.सा.6), हरमुनिया (अ.सा.4) और अपीलार्थी पर हमला करना चाहता था और चूंकि उसके जीवन को आसन्न खतरा था, उसने कुंवर साय से बसूला छीन लिया था और अपनी जान बचाने के लिए बसूला से कुंवर साय पर हमला किया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि कुंवर साय शराबी था और उसने अपने हिस्से की भूमि बेच दी थी और वह अपीलार्थी तथा उसके माता–पिता को बार–बार पीटा करता था।

8. धनपत बाई अ.सा.2 मंगल दास अ.सा.1 की पत्नी है और उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि रात में अपीलार्थी उनके घर आया और कहा कि उसने अपने भाई को मार डाला था। तथापि, प्रति-परीक्षण में, उसने अभिसाक्ष्य दिया कि चूंकि अपीलार्थी और उसका पति कुछ दूरी पर थे, वह उनकी बातचीत नहीं सुन सकी।

9. जयनाथ अ.सा.3 ने अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन नहीं किया और वह पक्षद्रोही हो गया। हरमुनिया अ.सा.4 अपीलार्थी की माँ है। अपनी मुख्य–परीक्षण में उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि कुंवर साय ने उसे गंदी गालियाँ दी थीं जिसके कारण वह घर से भाग गई थी और जब वह लगभग रात्रि 8.00 बजे लौटी तो उसने देखा कि कुंवर साय नशे की हालत में बेहोश पड़ा था। प्रति–परीक्षण में, उसने स्वीकार किया है कि कुंवर साय

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आदतन शराबी था और उन्हें पीटा करता था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि घटना से लगभग दो वर्ष पूर्व कुंवर साय ने सुखराम पर एक टँगिया से हमला किया था और उन्हें धमकाया करता था जिस पर उन्होंने कई अवसरों पर कुंवर साय के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के समय जब वह अपने पति–मनीराम के साथ अपीलार्थी के घर लौटी, तो कुंवर साय नशे की हालत में बसूला पकड़े हुए सुखराम को गाली दे रहा था। जब कुंवर साय ने मनीराम को देखा, तो उसने बसूला से उसके सिर पर हमला किया। इस पर, उसके पति–मनीराम ने कुंवर साय के सिर पर लाठी 2–3 के प्रहार किए। तत्पश्चात्, मृतक ने सुखराम के कंधे पर बसूला से हमला किया। इस मौके पर, सुखराम ने कुंवर साय से बसूला छीन लिया था और बसूला से उसके गाल पर हमला किया था। इस प्रकार, इस साक्षी ने भी बचाव पक्ष के कथन का पूर्णतः समर्थन किया है।

10.नानबाई अ.सा.5 ने, प्रति–परीक्षण कण्डिका 2 में, बचाव पक्ष के कथन का पूर्ण समर्थन किया है कि कुंवर साय ने मनीराम के सिर पर बसूला से हमला किया था जिस पर मनीराम ने कुंवर साय के सिर पर 2–3 लाठी के प्रहार किए थे, जिसके परिणामस्वरूप कुंवर साय के सिर से खून रिसने लगा। तत्पश्चात्, कुंवर ने सुखराम के कंधे पर बसूला से हमला किया जिस पर सुखराम ने बसूला छीन लिया था और बसूला से कुंवर साय के गाल पर एक प्रहार किया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11.मनीराम अ.सा.6, अपीलार्थी का पिता, ने अपने मुख्य–परीक्षण में कहा है कि सुखराम ने कुंवर साय पर हमला किया था जिस पर कुंवर साय के गाल से खून रिसने लगा, जिसकी तत्पश्चात् मृत्यु हो गई। तथापि, प्रतिपरीक्षण में, इस साक्षी ने भी बचाव पक्ष के कथन का पूर्ण समर्थन किया है और स्वीकार किया है कि कुंवर नशे की हालत में बसूला पकड़े हुए सुखराम को गाली दे रहा था और जब कुंवर ने मनीराम के सिर पर बसूला से हमला किया, तो उसने कुंवर के सिर पर 2–3 लाठी के प्रहार किए, जिस पर कुंवर और सुखराम के मध्य झगड़ा शुरू हो गया।

12.मोहनराम अ.सा.7 घटनास्थल से मिट्टी और लोहे के बसूला की जब्ती का साक्षी है। डॉक्टर के.के. दत्ता अ.सा.8, जिनकी शव–परीक्षणरिपोर्ट प्रदर्श पी.10 है, ने अभिसाक्ष्य दिया है कि कण्डिका 3 में उपरोक्त बाह्य चोटें क्रमांक 3 और 4 प्राणप्राणघातक थीं क्योंकि वे इतनी शक्ति से कारित की गई थीं कि मस्तिष्क पदार्थ बाहर निकल आया था और मृतक की तुरंत मृत्यु हो गई थी। परमेश्वर अ.सा.9 पटवारी है जिसने घटनास्थल का

मौका नक्शा तैयार किया था। इस्माइल अ.सा.10 एक सीलबंद पैकेट की जब्ती का साक्षी है। फुटकिया बाई अ.सा.11, मृतक की बहन, ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। प्रेम साय अ.सा.12 ने अपीलार्थी के विरुद्ध अभिसाक्ष्य नहीं दिया। चमरू प्रसाद गुप्ता अ.सा.13 कुंवर साय के शव के पंचनामा का साक्षी है और कांस्टेबल दिनेश्वर पांडे अ.सा.14 ने एक सीलबंद पैकेट को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर ले जाने के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है।

13.उपरोक्त कण्डिकाओं में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तार से वर्णन करने का प्रयोजन यह दर्शाना है कि लेशमात्र भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाए कि कण्डिका 3 में ऊपर उल्लिखित कुंवर साय पर लगी बाह्य चोटें क्रमांक 3 और 4, जो प्राणघातक सिद्ध हुई थीं, अपीलार्थी द्वारा कारित की गई थीं। हरमुनिया अ.सा.4, मनीराम अ.सा.6 और नानबाई अ.सा.5 के अभिसाक्ष्य को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष ने विचारण न्यायालय से हरमुनिया अ.सा.4, नानबाई अ.सा.5 और मनीराम अ.सा.6 की पुनः परीक्षण करने की अनुमति तब नहीं मांगी जब उन्होंने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के कथन का पूर्णतः समर्थन कर दिया था। यह स्थापित विधि है कि दंड प्रक्रिया संहिता (दं.प्र.सं.) की धारा 313 के अधीन परीक्षण में अभियुक्त अपीलार्थी के कथन को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। दोषारोपक भाग को पृथक् करके अपीलार्थी का दोष सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। अभियुक्त का दोष संदेह से परे साबित करने का भार सदैव अभियोजन पक्ष पर रहता है और यह कभी स्थानांतरित नहीं होता। अभियोजन पक्ष, अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध दोष सिद्ध करने के लिए, अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षणसे, जो पूर्णतः बचाव पक्ष के कथन का समर्थन करते हैं, सूत्रों को पृथक् नहीं कर सकता। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य केवल इस अकाट्य निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि मृतक कुंवर साय ने नशे की हालत में अपने पिता मनीराम अ.सा.6 के सिर पर बसूला से हमला किया था, जिस पर मनीराम अ.सा.6 ने मृतक के सिर पर लाठी से प्राणघातक प्रहार किए थे। तत्पश्चात्, जब मृतक ने अपीलार्थी पर बसूला से हमला किया, तो अपीलार्थी ने बसूला छीन लिया था और कुंवर साय के गाल पर केवल एक चोट कारित की थी। निःसंदेह, इस बात की प्रबल संभावना है कि हरमुनिया अ.सा.4, नानबाई अ.सा.5 और मनीराम अ.सा.6 ने अपीलार्थी को बचाने के लिए मनीराम द्वारा कुंवर साय के सिर पर लाठी से हमले की कहानी गढ़ी है। तथापि, यदि इन साक्षियों के उपरोक्त अभिसाक्ष्य को अनदेखा किया जाता है, तो यह दर्शाने के लिए कि कुंवर साय की

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मृत्यु अपीलार्थी द्वारा बसूला से किए गए हमले के कारण हुई थी, बिल्कुल कोई अन्य साक्ष्य नहीं है। मनीराम अ.सा.6 ने अपनी मुख्य–परीक्षणमें केवल यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने कुंवर पर हमला किया था किंतु हमले के हथियार का उल्लेख नहीं किया है। नानबाई अ.सा.5, मनीराम अ.सा.6, हरमुनिया अ.सा.4 और मंगल दास अ.सा.1 ने प्रतिपरीक्षणमें पूरी तरह से पलटी मारी है और बचाव पक्ष के कथन का पूर्ण समर्थन किया है।

14.हमने इस मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार किया है और प्रस्तुत तर्कों पर गहन विचार किया है। हम पाते हैं कि बचाव पक्ष का यह कथन पूर्णतः विश्वसनीय है कि मृतक ने मनीराम पर बसूला से हमला किया था, जिस पर मनीराम ने कुंवर साय की खोपड़ी पर लाठी से प्राणघातक प्रहार किए थे, जिसके पश्चात् कुंवर साय ने अपीलार्थी पर बसूला से हमला किया था और तभी अपीलार्थी ने बसूला छीन लिया था और बसूला से कुंवर साय पर केवल एक बार हमला किया था। हम पाते हैं कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी के कुंवर साय की हत्या करने के दोष के निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए अत्यधिक कल्पना का सहारा लिया। हम यह भी पाते हैं कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने कुंवर साय पर बसूला से प्राणघातक प्रहार किए थे और बचाव पक्ष का यह कथन विश्वसनीय प्रतीत होता है कि निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए मनीराम (अ.सा.6) ने पहले कुंवर साय पर प्राणघातक प्रहार किए थे और तत्पश्चात् जब कुंवर साय ने अपीलार्थी पर बसूला से हमला किया, तो अपीलार्थी ने बसूला छीन लिया था और कुंवर साय पर केवल एक बार हमला किया था। यदि मंगल दास अ.सा.1, हरमुनिया अ.सा.4, नानबाई अ.सा.5 और मनीराम अ.सा.6 के प्रतिपरीक्षणमें दिए गए अभिसाक्ष्य को अविश्वसनीय मानकर अनदेखा किया जाता है, तो अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य शेष नहीं रहता जो यह दर्शाए कि अपीलार्थी ने कुंवर साय पर बसूला से प्राणघातक प्रहार किए थे। अपीलार्थी द्वारा की गई न्यायेतर संस्वीकृति के संबंध में मंगल दास अ.सा.1 का अभिसाक्ष्य उसके कण्डिका 9 में दिए गए कथन के कारण पूर्णतः अविश्वसनीय हो जाता है जिसमें उसने पूरी तरह से पलटी मारी है और बचाव पक्ष के कथन का पूर्णतः समर्थन किया है। अपीलार्थी द्वारा की गई न्यायेतर संस्वीकृति के संबंध में धनपत बाई अ.सा.2 का अभिसाक्ष्य भी अविश्वसनीय हो जाता है क्योंकि अपनी प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 2 में उसने स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने उसके पति मंगल दास से क्या कहा था, यह वह ठीक से नहीं सुन सकी थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15.अब केवल यही प्रश्न विचारणीय रह जाता है कि क्या अपीलार्थी ने अपने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण किया था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह दर्शाता है कि अपीलार्थी ने कुंवर साय पर बसूला से केवल एक प्रहार तब किया था जब कुंवर साय ने मनीराम के सिर पर बसूला से हमला किया था और मनीराम ने कुंवर साय के सिर पर 2–3 लाठी के प्रहार किए थे। यदि मनीराम अ.सा.6, हरमुनिया अ.सा.4, नानबाई अ.सा.5 और मंगल दास अ.सा.1 के कथन पर विश्वास किया जाए, तो यह दर्शाता है कि जब मृतक ने उन पर बसूला से हमला किया तो न केवल अपीलार्थी के जीवन को बल्कि मनीराम (अ.सा.6) के जीवन को भी आसन्न खतरा था। अन्वेषण के दौरान, अपीलार्थी को यह पता लगाने के लिए चिकित्सा परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया कि क्या उसे कोई चोट लगी थी। चूंकि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाए कि कुंवर साय को लगी चोट अपीलार्थी द्वारा बसूला से कारित की गई थी और ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाए कि अपीलार्थी ने कुंवर साय पर बसूला से एक से अधिक बार हमला किया था, यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त अपीलार्थी ने अपनी व्यक्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण किया था। यदि उपरोक्त साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में दिए गए कथन को स्वीकार किया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपीलार्थी ने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया था और उसने कुंवर साय, जिसे पहले ही मनीराम अ.सा.6 के हाथों प्राणघातक चोटें लग चुकी थीं, पर बसूला से केवल एक ही प्रहार किया था। यह सत्य है कि कुंवर साय की शव–परीक्षणरिपोर्ट में गाल पर कोई चोट नहीं दर्शाई गई है, फिर भी यदि साक्षियों हरमुनिया अ.सा.4, नानबाई अ.सा.5 और मनीराम अ.सा.6 के प्रतिपरीक्षण में दिए गए अभिसाक्ष्य को अनदेखा किया जाता है, तो अपीलार्थी को कुंवर साय को लगी प्राणघातक चोटों से जोड़ने के लिए कोई साक्ष्य शेष नहीं रहता। इस प्रकार, बचाव पक्ष का यह कथन कि अपीलार्थी ने कुंवर साय पर प्राणघातक प्रहार नहीं किए थे और उसने अपनी व्यक्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में बसूला से केवल एक ही चोट कारित की थी, विश्वसनीय प्रतीत होता है। इसलिए अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है। इसलिए कुंवर साय की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.) की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16.परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.) की धारा 302 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी को मुक्त / रिहा किया जाए, यदि किसी अन्य मामले में वह अपेक्षित न हो।

हस्ता०/–
फ़ख़रुद्दीन
न्यायाधीश

हस्ता०/–
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

-Translated By Nasreen Khan